मामलों का विवरण

मलिक मजहर सुल्तान और ए. एन. आर. बनाम

यू. पी. सार्वजनिक सेवा आयोग और हमाराः2022 का हरियाणा राज्य आई. ए. सं. 53466

(सिविल अपील सं. 2006 की 1867) 26 सितंबर, 2023

[डॉ**.** धनंजय वाई**.** चंद्रचूड़**,** सीजेआई**.,** जे**.** बी**.** पारदीवाला और मनोज मिश्रा**,** जे**.** जे**.]**

हेडनोट्स

विचार के लिए विषयःहरियाणा राज्य ने एक निर्देश की मांग की कि उसे लोक सेवा आयोग के माध्यम से न्यायिक अधिकारियों की भर्ती की पूरी चयन प्रक्रिया के संचालन की अनुमति दी जानी चाहिए और इस कवायद को सुविधाजनक बनाने के लिए दिनांक 1 के आदेश को संशोधित किया जाना चाहिए।

न्यायिक सेवा**-**चयन प्रक्रिया**-**राज्य सरकार ने लोक सेवा आयोग के माध्यम से न्यायिक अधिकारियों की भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया की मांग की**-**राज्य सरकार **2007** से की गई कार्रवाई से विचलन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सामग्री प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैः

आयोजित किया गयाःउच्चतम न्यायालय के दिनांक 2 के आदेश अंतर्गत विशेष रूप से जिला न्यायपालिका अंतर्गत समय पर नियुक्तियां करने के महत्व पर ध्यान दिया गया-दिनांक 3 के आदेश अंतर्गत उच्च न्यायालय की इस समझ अंतर्गत त्रुटि पाई गई कि पूरी प्रक्रिया विशेष रूप से उच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी-हालांकि, इस आदेश को 1 पर संशोधित किया गया था ताकि चयन प्रक्रिया को एक प्रक्रिया द्वारा समाप्त किया जा सके जिसअंतर्गत मुख्य न्यायाधीश और राज्य और लोक सेवा आयोग के प्रतिनिधियों द्वारा नामित न्यायाधीशों से बनी चयन समिति-हरियाणा राज्य अंतर्गत जिस प्रक्रिया का पालन किया गया है, वह यह है कि राज्य सरकार ने नियमों अंतर्गत बदलावों को अधिसूचित किया है ताकि न्यायिक सेवा के लिए चयन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया जा सके।

मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित उच्च न्यायालय के दो प्रतिनिधि, राज्य सरकार के दो प्रतिनिधि और लोक सेवा आयोग के एक सदस्य-यह निर्विवाद है कि 2007 से, नियम 7 बी (पंजाब सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) हरियाणा संशोधन नियम 2020) को प्रतिस्थापित किया गया था ताकि चयन प्रक्रिया को ऊपर बताए गए अनुसार संचालित किया जा सके-यदि राज्य सरकार

उस स्थिति में कोई बदलाव लाना चाहती है, तो यह उच्च न्यायालय से परामर्श करने और चयन परीक्षा आयोजित करने और प्रक्रिया की देखरेख करने में उच्च न्यायालय की भागीदारी को निरस्त करने के लिए औचित्य का संकेत देने वाले वस्तुनिष्ठ आंकड़ों के आधार पर ऐसा करने के लिए बाध्य था-हालांकि, राज्य सरकार ने कार्रवाई के पाठ्यक्रम से विचलन की गारंटी देने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं रखी है जो ऊपर उल्लिखित है।[पैरा 20,21,23 और 24]

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन आक्षेपित हैं

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2006 की सिविल अपील संख्या 1867 में 2022 का आई. ए. No.53466।

2005 के सी. एम. डब्ल्यू. पी. No.40058 में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के दिनांकित 21.10.2005 के निर्णय और आदेश से।

रूपः

लोकेश सिंहल, सीनियर एएजी, अमित आनंद तिवारी, बरुण कुमार सिन्हा, A.A.Gs, श्रीमती ऐश्वर्या भाटी, ए. एस. जी., अनूप रतन, एजी, पी. एस. पटवालिया, विजय हंसारिया, डॉ. मनीष सिंघवी, जयदीप गुप्ता, आर. बाला, सीनियर एडवोकेट्स।, एजाज मकबूल, डॉ. मोनिका गुसैन, अशोक माथुर, सुश्री स्नेहा कलीता, सुश्री काव्या झावर, लक्ष्मी रमन सिंह, एम. आर. शमशाद, शिबाशीष मिश्रा, सुश्री आशा गोपालन नायर, गौरव शर्मा, नरेश के. शर्मा, विनोद शर्मा, जी. एन. रेड्डी, ऋषभ अग्रवाल, पशुपति नाथ राजदान, सुश्री मैत्रेयी जगत जोशी, सुश्री रिद्धिमा जुनेजा, जपनीश सिंह भाटिया, आस्तिक गुप्ता, सुश्री आकांक्षा तोमर, पी. आई. जोस, जेम्स पी. थॉमस, श्रीमती नरेश बख्शी, अनुव्रत शर्मा, नरेश कुमार, के. परमेश्वर, सुश्री आरती।

/

[2023] 12 एस सी आर।

मानेंद्र पाल गुप्ता, एम. बंगारास्वामी, वरुण वर्मा, एस. शशांक रेड्डी, सिद्धार्थ चौधरी, जी. प्रकाश, मेसर्स पीएलआर चैंबर्स एंड कंपनी, सुश्री दीपानविता प्रियंका, अहंतेम हेनरी, मैबम विधि सिंह, भारत बागला, आदित्य अनिरुद्ध पांडे, सौरव सिंह, आदित्य कृष्ण, मिलिंद कुमार, गोपाल सिंह, रंजन मुखर्जी, कौशल यादव, नंदलाल कुमार मिश्रा, प्रमोद कुमार, शफी के अहमद, अर्जुन रघुवंशी, अभिषेक यादव, विपिन नायर, सुमीर सोधी, ध्रुव वाधवा, संतोष कृष्णन, सुश्री दीपशिखा संसांवाल, कृष्णानंद पांडे, सुश्री के. एनातोली एस।

मलिक मजहर सुल्तान बनाम।

करूण शर्मा, आर. सतीश, सुश्री आशा जैन मदन, सुश्री हेमंतिका वाही, टी. वी. रत्नम, एम. योगेश कन्ना, राज बहादुर यादव, जगजीत सिंह छाबड़ा, अजय पाल, मयंक दहिया, सुश्री सुगंध राठौर, अभिजीत सेनगुप्ता, टी. महिपाल, संतोष कुमार-आई, के. के. मोहन, टी. वी. जॉर्ज, श्रीमती बीना गुप्ता, सुनील कुमार जैन, सुश्री राशिका स्वरूप, आनंद कन्नन एन., सिद्धार्थ, अमित कुमार अग्रवाल, आर. नेदुमारन, सुश्री सुमिता हजारिका, बी. बालाजी, अश्विनी कुमार, करण भारिहोके, राजीव शंकर द्विवेदी।उपस्थित पक्षकारों के लिए।

सर्वोच्च निर्णय के निर्णय का निर्णय/आदेश

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, सीजेआई

1. हरियाणा राज्य द्वारा एक आवेदन का नेतृत्व किया गया है

मलिक मजहर सुल्तान बनाम यू पी लोक सेवा आयोग **1** में कार्यवाही

दो दिशाओं की तलाश:(i) हरियाणा सिविल सेवा की न्यायिक शाखा में न्यायिक अधिकारियों की भर्ती पंजाब सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) नियम 1951 2 (हरियाणा राज्य पर लागू) के भाग सी के प्रावधानों के अनुसार की जानी चाहिए; और

((ii) पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के नेतृत्व में 2008 के आई. ए. 60 में 12 फरवरी 2009 के इस न्यायालय के आदेश में संशोधन किया जाए।

1 2006 की सिविल अपील सं. 1867 2 "नियम"

/

[2023] 12 एस सी आर।

2. यह मुद्दा कनिष्ठ सिविल न्यायाधीशों के 175 पदों को भरने का है।

3. 4 जनवरी 2007 के अपने आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने इस बात को रेखांकित किया कि एक स्वतंत्र और प्रभावी न्यायिक प्रणाली संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है और यदि पर्याप्त संख्या में न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं की जाती है, तो नागरिकों को न्याय का वितरण गंभीर रूप से प्रभावित होगा।न्यायालय ने कहा कि न्यायिक प्रणाली को न्याय के वितरण में देरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसका एक प्रमुख कारण लंबित मामलों की बड़ी संख्या या न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात के संबंध में न्यायाधीशों की अपर्याप्त संख्या है।इस पृष्ठभूमि में, न्यायालय ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना आवश्यक हो गया है कि न्यायिक संस्थानों में रिक्तियों को समय पर पूरा किया जाए।

4. इस न्यायालय के आदेश का प्रासंगिक हिस्सा नीचे दिया गया है:“अधीनस्थ न्यायालयों और जिला न्यायालयों में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों के लिए सामान्य निर्देश और समय अनुसूची जारी करने से पहले, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि संबंधित अधिकारियों द्वारा संबंधित

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूदा न्यायिक सेवा नियमों के अनुसार चयन किए जाने की आवश्यकता है।हालाँकि, हम इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि, उत्तरोत्तर, संबंधित अधिकारी विचार करेंगे, चर्चा करेंगे और अंततः एक आम सहमति पर पहुंच सकते हैं कि चयन प्रक्रिया स्वयं उच्च न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अंतर्गत लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित की जाएगी।इस संबंध में काफी प्रगति हो चुकी है।मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों के बीच आयोजित एक सम्मेलन में लिए गए निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है, जिसके कार्यवृत्त से पता चलता है कि कुछ राज्यों में सिविल न्यायाधीशों के सभी स्तरों पर अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों का चयन पहले से ही उच्च न्यायालयों द्वारा किया जा रहा है। कुछ राज्य, जहां चयन अभी भी लोक सेवा आयोग द्वारा किया जा रहा है, चयन को उच्च न्यायालय ों को सौंपने के लिए सहमत थे, जबकि हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब और केरल के मुख्यमंत्रियों/मंत्रियों का विचार था कि वर्तमान प्रणाली जारी रह सकती है, लेकिन संयुक्त रूप से लिया गया निर्णय यह था कि उक्त राज्यों (हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब और केरल) में प्रश्न पत्रों की स्थापना और उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन उच्च न्यायालय को सौंपा जाए।आगे यह निर्णय लिया गया कि अन्य राज्यों में 687

जहां अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों का चयन उच्च न्यायालयों द्वारा नहीं किया जा रहा है, वहां ऐसा चयन प्रासंगिक नियमों में संशोधन करके उच्च न्यायालयों को सौंपा जाए।इस संबंध में, कलकत्ता उच्च न्यायालय की ओर से दिए गए हलफनामे के साथ, उक्त न्यायालय के महापंजीयक द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार के न्यायिक विभाग के सचिव को संबोधित 15 सितंबर, 2006 के पत्र की एक प्रति भी संलग्न की गई है।वह पत्र 11 मार्च, 2006 को आयोजित मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में लिए गए उपरोक्त निर्णय को संदर्भित करता है, जिसमें राज्य सरकार से उपरोक्त सम्मेलन में निर्णय के संदर्भ में भर्ती नियमों में उपयुक्त संशोधन करने का अनुरोध किया गया था।हालाँकि, इस स्तर पर ये हमारे विचार के लिए मुद्दे नहीं हैं।जैसा कि पहले ही संकेत दिया जा चुका है, चयन मौजूदा नियमों के अनुसार ऐसा करने के लिए सशक्त अधिकारियों द्वारा किया जाना है। "5. उपरोक्त टिप्पणियों में, न्यायालय ने कहा कि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूदा न्यायिक सेवा नियमों के संदर्भ में चयन किए जाने की आवश्यकता है।न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि एक सर्वसम्मति विकसित की जानी चाहिए ताकि चयन प्रक्रिया उच्च न्यायालय ों द्वारा या उच्च न्यायालय ों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अंतर्गत लोक सेवा आयोगों द्वारा संचालित की जा सके।उपरोक्त उद्धरण में एक निर्णय का संदर्भ है जो मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों के बीच सम्मेलन के दौरान लिया गया था।कई राज्य जहां लोक सेवा आयोगों द्वारा चयन किया जा रहा था, वे प्रक्रिया को उच्च न्यायालयों को सौंपने के लिए सहमत हुए थे।कुछ राज्यों (हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब और केरल) की इच्छा थी कि मौजूदा प्रणाली जारी रहे, लेकिन प्रश्न पत्र तैयार करने और उत्तर

पुस्तिकाओं का मूल्यांकन उच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा।जिन राज्यों में चयन उच्च न्यायालयों द्वारा नहीं किया जा रहा था, वहां यह उम्मीद की जाती थी कि चयन संबंधित नियमों में संशोधन करके उन्हें सौंपा जाना चाहिए।इस न्यायालय ने इस दलील को खारिज कर दिया कि न्यायिक सेवा में नियुक्ति की प्रक्रिया की देखरेख के लिए मुख्य न्यायाधीश द्वारा एक समिति का गठन राज्य लोक सेवा आयोगों के कामकाज पर अतिक्रमण के समान होगा, क्योंकि ऐसा करने का उद्देश्य और उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि रिक्तियों को समय पर भरा जाए और न्याय के वितरण में देरी की समस्या से निपटा जाए।

/

[2023] 12 एस सी आर।

6. 15 जनवरी 2007 को, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के महापंजीयक ने राज्य सरकार को सूचित किया कि मलिक मजहर सुल्तान (उपरोक्त) में 4 जनवरी 2007 के आदेश को देखते हुए, सिविल न्यायाधीश और जिला न्यायाधीश के कैडर में रिक्तियों को हर साल 15 जनवरी तक उच्च न्यायालय द्वारा अधिसूचित किया जाएगा और भर्ती की प्रक्रिया उच्च न्यायालय द्वारा पदों का विज्ञापन करके, परीक्षा आयोजित करके और परिणाम घोषित करके "अपने अंत में" आयोजित की जाएगी।

7. 23 मार्च 2007 को हरियाणा राज्य ने एक चयन समिति का गठन किया जिसमें शामिल थेः

((i) मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित तीन न्यायाधीश; (ii) महाधिवक्ता;

((ग) कानूनी अनुस्मारक; और

((iv) विधायी विभाग का सचिव।

8. राज्य सरकार ने हलफनामे में कहा है कि हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्यों पर 2006 और 2008 के बीच महाभियोग चलाया गया था और सितंबर 2008 में आयोग का पुनर्गठन किया गया था। 9.हरियाणा राज्य में न्यायिक सेवा में भर्ती हरियाणा राज्य में लागू नियमों द्वारा शासित होती है।नियमों के भाग सी में 'उम्मीदवारों की परीक्षा' का प्रावधान है।भाग सी को इस प्रावधान द्वारा प्रस्तुत किया गया है किः

“हरियाणा सिविल सेवा की न्यायिक शाखा में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों की परीक्षा के लिए निम्नलिखित नियम और निर्देश, जो साल दर साल परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं, निर्धारित किए गए हैं।(जोर दिया गया)

10. भाग ग के नियम 4 और 5 नीचे दिए गए हैंः

“4. हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त किए जाने वाले परीक्षकों द्वारा परीक्षा पत्र निर्धारित किए जाएंगे और अंक दिए जाएंगे।वाइवा वॉयस में एक परीक्षा भी होगी जो हरियाणा लोक सेवा

आयोग द्वारा आयोजित की जाएगी।उच्च न्यायालय का प्रतिनिधि चयन समिति के सदस्यों में से एक होगा और उम्मीदवार की उपयुक्तता के संबंध में उसके द्वारा दी गई राय की अवहेलना नहीं की जाएगी।

मलिक मझार सुल्तान बनाम यू. पी. सार्वजनिक सेवा

आयोग [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 690

जब तक कि राय को स्वीकार नहीं करने के लिए मजबूत और ठोस कारण न हों, किन कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए।

5. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश समय-समय पर यह घोषित कर सकते हैं कि परीक्षा का विषय क्या होगा। "

11. 2007 से, राज्य सरकार ने प्रत्येक भर्ती के अवसर पर, प्रश्न नियमों में संशोधनों को अधिसूचित किया है ताकि उच्च न्यायालय , राज्य सरकार और लोक सेवा आयोग के प्रतिनिधियों से बनी एक समिति के अंतर्गत न्यायिक सेवा में रिक्तियों को भरने का प्रावधान किया जा सके।

12. 11 मई 2007 को हरियाणा राज्य द्वारा इस न्यायालय के समक्ष एक आई. ए. 3 का नेतृत्व किया गया था, जिस पर निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

“जहाँ तक प्रार्थना संख्या 1 का संबंध है, हम कह सकते हैं कि इस आई. ए. में राज्य द्वारा उठाए गए बिंदुओं सहित सभी बिंदुओं पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया था और इसलिए प्रार्थना को खारिज कर दिया गया है।जहाँ तक प्रार्थना संख्या 2 का संबंध है, हमारी राय में, इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश बहुत स्पष्ट है।निम्नलिखित टिप्पणियों से भी यह स्पष्ट होता हैः“अधीनस्थ न्यायालयों और जिला न्यायालयों में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों के लिए सामान्य निर्देश और समय अनुसूची जारी करने से पहले, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि संबंधित अधिकारियों द्वारा संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूदा न्यायिक सेवा नियमों के अनुसार चयन किए जाने की आवश्यकता है। "

इसलिए, इस न्यायालय ने व्यक्त किया कि भविष्य में क्या कार्रवाई की जानी चाहिए।इसलिए, हमारी राय में, उच्च न्यायालय का राज्य सरकार को पत्र लिखना सही नहीं था।तदनुसार उच्च न्यायालय की समझ के अनुसार रिक्तियों को पदों का विज्ञापन देकर और परीक्षा आयोजित करके और परिणाम घोषित करके समाप्त किया जाना था जो सच नहीं था।तदनुसार आवेदन का निपटारा किया जाता है। "

(जोर दिया गया)

13. उपरोक्त आदेश में अपनी टिप्पणियों से, इस न्यायालय का विचार था कि उच्च न्यायालय की यह समझ कि रिक्तियों को पदों का विज्ञापन करके और परीक्षा आयोजित करके और अंततः परिणाम घोषित करके "अपने अंत में" समाप्त किया जाना था, 4 जनवरी 2007 के पिछले आदेश का सही अध्ययन नहीं था।23 मई, 2008 को एक चयन समिति की बैठक हुई जिसमें उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीश, हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, गृह और न्याय, महाधिवक्ता और संयुक्त पंजीयक (भर्ती) शामिल थे।कार्यवृत्त में मुख्य सचिव का आश्वासन दर्ज किया गया कि हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) के लिए उम्मीदवारों के चयन को हरियाणा लोक सेवा आयोग के दायरे से बाहर करने और इसे उच्च न्यायालय की चयन समिति को सौंपने की मंजूरी मंत्रिमंडल की मंजूरी प्राप्त करने के बाद जल्द ही भेजी जाएगी।

14. उपरोक्त विकास के बाद, 12 फरवरी 2009 को, इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के नेतृत्व में आई. ए. संख्या 60 एफ. आई. और दो रिट याचिकाओं पर विचार किया जिसमें निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

“लोक सेवा आयोग ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार सिविल न्यायाधीश (Jr.Division) की 78 रिक्तियों को भरने के लिए कदम उठाए थे और 14 सितंबर 2008 को हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी।प्रारंभिक परीक्षा के लिए लगभग 6,000 उम्मीदवार उपस्थित हुए थे जो 16.11.2008 पर आयोजित की गई थी और परिणाम भी लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित किया गया था और उम्मीदवारों को अंतिम चयन के लिए उपस्थित होना था।इस बीच, उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार और लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श के बाद निर्णय लिया कि चयन की आगे की प्रक्रिया उच्च न्यायालय और लोक सेवा आयोग के कहने पर संयुक्त रूप से आयोजित की जाएगी।उच्च न्यायालय ने अब एक समिति का गठन किया है और समिति प्रश्न पत्रों का गठन करेगी जिनका मूल्यांकन किया जाएगा और उसके बाद साक्षात्कार होगा जिसमें पंजाब और हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश द्वारा तीन न्यायाधीशों को नामित किया जाएगा और लोक सेवा आयोग के तीन सदस्य भाग लेंगे।

रिट याचिका (सी) Nos.39 और 40/2009 में याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि भारत के संविधान 691 के अनुच्छेद 235 के अनुसार लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी गई थी

मलिक मझार सुल्तान बनाम यू. पी. सार्वजनिक सेवा

आयोग [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 692

और पंजाब सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) नियम, 1951 (जैसा कि हरियाणा राज्य पर लागू होता है) के अनुसार और यह प्रस्तुत किया जाता है कि भर्ती नियमों के आधार पर पहले ही शुरू की जा चुकी थी।इसे उक्त नियमों के अंतर्गत जारी रखा जा सकता है और कोई भी विचलन हेमेन मल्होत्रा बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय , (2008) 7 एस. सी. सी. पी. में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के फैसले के खिलाफ होगा।11 और अन्य मामलों और रिट याचिकाकर्ताओं का अनुरोध है कि अकेले हरियाणा लोक सेवा आयोग को आगे की चयन प्रक्रिया जारी रखने का अधिकार मिला है।

हम चयन की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं क्योंकि लोक सेवा आयोग भी चयन की प्रक्रिया में शामिल है।अखिल भारतीय भर्ती 22 दिसंबर, 2008 के निर्णय के अनुसार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय , राज्य के प्रतिनिधियों और हरियाणा लोक सेवा आयोग के साथ संयुक्त परामर्श के आधार पर होगी।चूंकि बड़ी संख्या में पद अभी भी खाली हैं, इसलिए हम उच्च न्यायालय के साथ-साथ हरियाणा लोक सेवा आयोग और राज्य सरकार से चयन प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने का अनुरोध करते हैं।11.5.2007 के क्रम को ऊपर बताए गए हद तक संशोधित किया गया है। "

(जोर दिया गया) 15.हरियाणा राज्य अंतर्गत जिस प्रक्रिया का पालन किया गया है, वह यह है कि राज्य सरकार ने नियमों अंतर्गत बदलावों को अधिसूचित किया है ताकि मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों, राज्य सरकार के दो प्रतिनिधियों और लोक सेवा आयोग के एक सदस्य की समिति की देखरेख अंतर्गत आयोजित की जा रही न्यायिक सेवा के लिए चयन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया जा सके।

16. संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के साथ पठित अनुच्छेद 234 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल द्वारा 14 दिसंबर 2020 को जारी एक अधिसूचना द्वारा, पंजाब सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) हरियाणा संशोधन नियम 2020 को अधिसूचित किया गया था। नियम 7 बी को निम्नलिखित शब्दों में प्रतिस्थापित किया गया हैः

“7 बी (1) इन नियमों में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, सिविल न्यायाधीशों (जूनियर डिवीजन) के वर्तमान में खाली पड़े दो सौ उनतीस और सत्रह अग्रिम/अप्रत्याशित पदों पर नियुक्ति निम्नलिखित द्वारा की जाएगी -

/

[2023] 12 एस सी आर।

राज्य सरकार इस उद्देश्य के लिए गठित चयन समिति की सिफारिशों पर विशेष भर्ती के माध्यम से जिस तरह से इसके बाद निर्धारित किया गया है।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात्ः-

((i) मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीश, जिनमें से सबसे वरिष्ठ अध्यक्ष होंगे।

((ख) महाधिवक्ता, हरियाणा;

((ग) हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव; और

((iv) हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष।".प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने के लिए नियमों के भाग सी को भी प्रतिस्थापित किया गया है।सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के रिक्त पदों में 239 रिक्तियों और 7 प्रत्याशित रिक्तियों को भरने की सुविधा के लिए नियम 7 बी का प्रतिस्थापन विशेष रूप से किया गया था।

17. अब इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए आवेदन में, हरियाणा राज्य ने एक निर्देश की मांग की है कि उसे न्यायिक शाखा में भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग के माध्यम से पूरी चयन प्रक्रिया आयोजित करने की अनुमति दी जानी चाहिए और इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए 12 फरवरी 2009 के आदेश को संशोधित किया जाना चाहिए।

18. आवेदन के समर्थन में, वरिष्ठ ए. ए. जी. श्री लोकेश सिन्हा द्वारा यह आग्रह किया गया है कि नियम इस पर विचार करें किः

(i) न्यायिक सेवा के लिए चयन प्रक्रिया लोक सेवा आयोग द्वारा की जानी है।

((ii) भाग-ग के नियम 4 में यह प्रावधान है कि जबकि परीक्षा पत्र लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त परीक्षकों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे और अंक दिए जाएंगे, उच्च न्यायालय का एक प्रतिनिधि मौखिक परीक्षा आयोजित करने के लिए चयन समिति के सदस्यों में से एक होगा और उम्मीदवार की उपयुक्तता के संबंध में उस प्रतिनिधि द्वारा दी गई राय की अवहेलना नहीं की जाएगी, सिवाय इसके कि लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले ठोस कारणों के;

19. उपरोक्त दलीलों के जवाब में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की ओर से वरिष्ठ वकील श्री पी. एस. पटवालिया ने आग्रह किया है कि -

(i) 2007 से एक सुसंगत पैटर्न का पालन किया गया है जिसअंतर्गत उच्च न्यायालय के तीन प्रतिनिधियों और तीन अन्य सदस्यों, अर्थात् (ए) महाधिवक्ता; (बी) मुख्य सचिव; और (सी) हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, से बनी एक चयन समिति के तत्वावधान अंतर्गत भर्ती की गई है।

((ख) लगातार अपनाई जाने वाली इस प्रक्रिया को विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए विचलित नहीं किया जाना चाहिए कि प्रक्रिया को उच्च न्यायालय को सौंपने से चयन प्रक्रिया की अखंडता और स्वतंत्रता कम होगी; और

(iii) राज्य सरकार द्वारा नियम बनाने की शक्ति के अंतर्गत तय की गई प्रथा के विचलन की प्रक्रिया को अपने हाथ में लेने के लिए एक एकतरफा निर्णय लिया गया है, जिसे इस न्यायालय का अधिकार प्राप्त है।

20. 4 जनवरी 2007 के इस न्यायालय के आदेश में जिला न्यायपालिका में समय पर नियुक्तियां करने के महत्व पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है।इस न्यायालय ने उस निर्णय का संदर्भ दिया जो मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में आया था जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ों को न्यायिक सेवा में नियुक्तियां करने की भूमिका सौंपी जानी थी।कई राज्यों ने पहले ही चयन प्रक्रिया को सौंपकर अनुच्छेद 234 और 309 के अंतर्गत विरचित गए अपने नियमों में संशोधन सुनिश्चित कर लिया है।

/

[2023] 12 एस सी आर।

उच्च न्यायालय।इस न्यायालय ने यह भी नोट किया कि अन्य राज्यों में जहां लोक सेवा आयोग के अधिकार के अंतर्गत काम किया जा रहा था, चयन के काम की निगरानी उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति द्वारा की जा रही थी।इसके बाद, 11 मई 2007 के इस न्यायालय के आदेश में उच्च न्यायालय की इस समझ में त्रुटि पाई गई कि पूरी प्रक्रिया विशेष रूप से उच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी।हालाँकि, इस आदेश को 12 फरवरी 2009 को संशोधित किया गया था ताकि चयन प्रक्रिया को एक प्रक्रिया द्वारा समाप्त करने की अनुमति दी जा सके जिसमें मुख्य न्यायाधीश और राज्य और लोक सेवा आयोग के प्रतिनिधियों द्वारा नामित न्यायाधीशों से बनी चयन समिति शामिल हो।

21. हरियाणा राज्य में न्यायिक सेवा के लिए चयन को नियंत्रित करने वाले नियमों के भाग सी में नियम 4 और 5 के संदर्भ में इस आशय के प्रावधान हैं कि परीक्षा पत्र लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त परीक्षकों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे और अंक दिए जाएंगे, जबकि उच्च न्यायालय का केवल साक्षात्कार आयोजित करने वाली समिति में एक प्रतिनिधि होगा।हालांकि, भाग सी के

प्रारंभिक भाग में एक प्रावधान है कि नियम और निर्देश साल-दर-साल परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं।यह निर्विवाद है कि 2007 से नियम 7 बी को प्रतिस्थापित किया गया है ताकि चयन प्रक्रिया को उच्च न्यायालय के तीन प्रतिनिधियों और लोक सेवा आयोग सहित राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन व्यक्तियों की एक समिति की देखरेख अंतर्गत संचालित करने की अनुमति दी जा सके।इस व्यवस्था का पालन पिछली भर्ती में भी किया गया है जो 14 दिसंबर 2020 की अधिसूचना के अनुसार आयोजित की गई थी।

22. संविधान के अनुच्छेद 234 में प्रावधान है कि जिला न्यायाधीशों के अलावा किसी अन्य राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्तियां राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग और ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के साथ परामर्श करने के बाद उस ओर से बनाए गए नियमों के अनुसार की जाएंगी।23. राज्य सरकार द्वारा अनुसरण किया जाने वाला सुसंगत पैटर्न यह है कि न्यायिक सेवा में भर्ती एक चयन समिति को सौंपी गई है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।यदि राज्य सरकार उस स्थिति में कोई बदलाव लाना चाहती है, तो उच्च न्यायालय से परामर्श करना और चयन परीक्षा आयोजित करने और प्रक्रिया की देखरेख करने में उच्च न्यायालय की भागीदारी को निरस्त करने के लिए औचित्य का संकेत देने वाले वस्तुनिष्ठ आंकड़ों पर ठोस सामग्री के आधार पर ऐसा करना उसका दायित्व था।

राज्य सरकार ने अपनी प्रस्तुतियों के दौरान, प्रस्तावित प्रस्थान के लिए केवल दो आधार निर्धारित किए हैं, अर्थात्:

(i) नियमों के तहत न्यायिक सेवा अंतर्गत रिक्तियों को पूरा करना लोक सेवा आयोग का अधिदेश है; और

(ii) 4 जनवरी 2007 के आदेश में भी, इस न्यायालय ने कहा कि प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के नियमों का पालन करना होगा।यह हरियाणा राज्य में प्राप्त होने वाली स्थिति की एक सुपरफिशियल समझ होगी।नियम 7 बी के प्रतिस्थापन द्वारा नियम बनाने की शक्ति के प्रयोग के आधार पर जो निरंतर कार्रवाई की गई थी, वह इस समझ पर आधारित होगी कि उच्च न्यायालय और राज्य और लोक सेवा आयोग दोनों के प्रतिनिधियों से बनी एक व्यापक समिति को यह काम सौंपा जाना चाहिए।यह इस स्थिति को स्वीकार करता है कि उच्च न्यायालय न्यायिक सेवा की जरूरतों को समझने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में है।चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को विषय और सेवा की प्रकृति दोनों का ज्ञान होता है।यदि यह समझ, जिसे 2007 से लगातार कार्रवाई के क्रम में प्रतिबिंबित किया गया है, से विचलित होना था, तो यह ठोस सामग्री पर आधारित होना था जिसकी स्पष्ट रूप से कमी पाई गई है।राज्य सरकार इस न्यायालय के समक्ष वस्तुनिष्ठ डेटा प्रस्तुत करके व्यवस्था में संशोधन की मांग करने के लिए नहीं आई है जो या तो उच्च न्यायालय की अब तक अपने कार्य को करने में

असमर्थता का संकेत देगा या यह प्रदर्शित करेगा कि उच्च न्यायालय द्वारा संचालित प्रक्रिया में अवहेलना हुई है।

24. इसलिए, उपरोक्त कारणों से, हमारा विचार है कि राज्य सरकार ने इस न्यायालय के समक्ष पर्याप्त सामग्री नहीं रखी है जो 2007 से चल रही कार्रवाई के पाठ्यक्रम से विचलन की गारंटी देती है, जिसमें हाल ही में 14 दिसंबर 2020 की अधिसूचना भी शामिल है।

25. तदनुसार हम उस अनुरोध को स्वीकार नहीं करते हैं जो राज्य सरकार द्वारा आई. ए. में किया गया है जो तदनुसार खारिज हो जाएगा।26. यह सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता है कि कनिष्ठ सिविल न्यायाधीशों की मौजूदा 175 रिक्तियों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। राज्य सरकार,

/

[2023] 12 एस सी आर।

इसलिए, इस आदेश की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर, यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं कि भर्ती एक समिति द्वारा की जाए जिसमें (i) मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीश; (ii) हरियाणा राज्य के मुख्य सचिव; (iii) हरियाणा के महाधिवक्ता; और (iv) हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष शामिल हों।

27. लोक सेवा आयोग 2007 से अपनाई गई पिछली प्रथा के अनुसार सभी आवश्यक रसद सहायता प्रदान करेगा।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

आई. ए. ने बर्खास्त कर दिया।

अंकित ज्ञान